

**न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग**  
**मुख्यालय जिला कार्यालय रायपुर (छ.ग.)**

// ईशतहार //

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार  
अधिनियम, 2013 की धारा 21 की उपधारा (1) के अंतर्गत आम सूचना)


प्रकरण क्रमांक/05/अ-82/वर्ष - 2016-17

आरंग, दिनांक 26.07.2018

चूंकि छ.ग.शासन की यह मंशा है कि निम्न दर्शाये ग्राम में निम्न दर्शायी भूमि की "लोक हित में नया रायपुर में ए.डी. रोड-1 का निर्माण" के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जावे। अतः इस आम सूचना के माध्यम से उन समस्त व्यक्तियों का जिनका कोई स्वत्व उल्लेखित भूमि में है, सूचित किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अभनपुर कक्ष क्रमांक 04 मुख्यालय जिला कार्यालय रायपुर में 30 दिवस के भीतर संबंधित भूमि में अपने स्वत्वों के संबंध में तथा इन स्वत्वों के मुआवजे की मांग पुनर्वास एवं प्रतिस्थापना के दावे के संबंध में तथा यदि भूमि के भू-मापन के संबंध में कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।


जिले का नाम	तहसील	ग्राम या शहर का नाम	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि का ख.नं.	भूमि का प्लॉट नंबर	दर्जशुदा भूमिस्वामी का नाम	कब्जाधारी का नाम	वह कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकयता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रायपुर	आरंग	पलौद	2.49	1401 का भाग	0.42			लोक हित में नया रायपुर में ए.डी. रोड-1 का निर्माण
				1814 का भाग	0.09			
				1749 का भाग	0.02			
				1752	0.28			
				1588 का भाग	0.07			
				1590 का भाग	0.43			
				1794 का भाग	0.04			
				1578 का भाग	0.04			
				1579 का भाग	0.15			
				1591/2	0.20			
				1591/3	0.15			
				1592/2	0.20			
				1592/3	0.11			
				1591/4 का भाग	0.05			
1592/4	0.24							
		योग		15	2.49			

(संलग्न -सूची)

  
भू-अर्जन अधिकारी एवं  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
आरंग

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. रायपुर को वेबसाईट अपलोड करने हेतु प्रेषित।
2. माल जमादार तहसील कार्यालय आरंग को तामिली हेतु प्रेषित।

  
भू-अर्जन अधिकारी एवं  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
आरंग